Need to include adivasi community and tribal areas of Dadra and Nagar Haveli in the V and VI Schedules to the Constitution-Laid

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर **(**दादरा और नागर हवेली**) :** मेरा प्रदेश एक आदिवासी बाहुल्य प्रदेश होने के साथ साथ आदिवासी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। भारतीय संविधान में आदिवासी बाहुल्य विस्तारो के लिए पांचवीं एवं छठी अनुसूची का प्रावधान है जो आदिवासी समुदायों के हित के लिए बनाया गया है परंतु आज तक हमारे प्रदेश में पांचवीं एवं छठी अनुसूची का लाभ नहीं मिल रहा है जिसके कारण आदिवासी समाज का सही मायने में विकास नहीं हो पाया है और न उस समुदाय को अपना हक एवं अधिकार मिल पा रहा है। यह अनुसूची अनुसूचित जनजातियों की भूमि, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करती है। यह अनुसूची आदिवासी समुदायों को अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को संरक्षित करने में मदद करती है । इतना ही नहीं, यह उन्हें उनकी भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम बनाती है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि मेरे प्रदेश दादरा नगर हवेली के आदिवासी समुदाय क़ो पांचवी एवं छठी अनुसूची में शामिल किया जाये जिससे उनको उनका हक़ मिल सकेगा और आदिवासियों के समाज के कल्याण और उनकी सही मायने मे उन्नत होगी ।